कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-41/2016-17/

दिनांक : /12/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, नरेन्द्र नगर

जिला- टिहरी

विषय : क्षेत्र पंचायत नरेन्द्र नगर का वर्ष 2015-16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **04** प्रस्तर तथा STAN मे 01 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 41/2016-17/ **दिनांक: /12/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2015-16 के लिये क्षेत्र पंचायत नरेन्द्र नगर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्रीमती विनीता बिष्ट - ब्लाक प्रमुख (क्षेत्र पंचायत)

(ii) सुश्री विमी जोशी खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(ii) श्री प्यारे लाल शर्मा, स.ले.प.अ.

(iii) श्री सतेन्द्र कुमार स.ले.प.अ.

(iv) श्री नित्यान्नद सिंह स.ले.पे.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 03.08.2016 से 10.08.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: वित्तीय वर्ष 2015-16

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **क्षेत्र पंचायत नरेन्द्र नगर, जनपद- टिहरी गढ़वाल**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो:- क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 117

भौगोलिक क्षेत्र :-- 15932.33 हेक्टेयर

जनसंख्या : 63588

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 352

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 04

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक: 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 24

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : भाग-3 के अनुसार

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : भाग-3 के अनुसार

(अ) सामान्यः-

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत-नरेन्द्र नगर**, **जनपद- टिहरी** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2015-16 की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ., श्री प्यारे लाल शर्मा, स.ले.प.अ., श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ. तथा नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. सिंह, द्वारा दिनांक 03.08.2016 से 10.08.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर		**भाग 4(ब)-1**	**भाग 4(ब)-2**

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: -

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:-

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1:- विभिन्न मदों से अर्जित ब्याज ` 4.83 लाख राजकोष में जमा न करने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड़ शासन के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत संस्थानों जैसे क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतो से प्राप्त धनराशि जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त, क्षेत्र पंचायत विकास निधि, विधायक निधि आदि की धनराशि जो लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण बैंको में जमा रहती है तथा जिस पर बैंक से ब्याज अर्जित होता है उस अर्जित ब्याज की धनराशि को अविलम्ब राजकोष (0049 ब्याज प्राप्तियों) में जमा कराया जाना अनिवार्य है अथवा सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना आवश्यक है।

क्षेत्र पंचायत नरेन्द्रनगर में विभिन्न मदों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त निधियों के तहत 31.03.2016 तक प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि ` 4,83,163/- राजकोष में जमा नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि धनराशि जमा की जा रही है तथा शेष धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासन के स्पष्ट आदेशों के पश्चात भी उक्त धनराशि जमा न करना शासनादेशों का उल्लंघन है।

अतः ` 4,83,163/- की धनराशि का अर्जित ब्याज जमा न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग (4) ब 2</u>

प्रस्तर 2:- आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु दी गई अग्रिम धनराशि ` 18.00 लाख का असमायोजित रहना तथा दो भवनों का निर्माण कार्य अनारम्भ रहना ।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी के पत्रांक C-342/आ॰बा॰भवन दिनांकित 28 मई 2015 के द्वारा विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के अंतर्गत 9 स्थानों (संलग्नक 'क' के अनुसार) पर आंगनवाड़ी भवन बनाने हेतु ड्राफ्ट संख्या 57227 दिनांकित 19/05/2015 के माध्यम से ` 41.50 लाख की धनराशि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ उपलब्ध कराई गई थी कि भवनों के निर्माण का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 3-4 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये |

आंगनवाड़ी भवन निर्माण संबंधी पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 09.12.2015 तथा 06.02.2016 को जारी कर दिये गए थे | कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों को 3-4 माह के अंदर पूर्ण किया जाना था परंतु लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2016) तक केवल सात ही निर्माण कार्य प्रगति पर हैं जबकि बाकी दो निर्माण कार्य अनारम्भ हैं | भवन निर्माण कार्यों हेतु संबन्धित ग्राम विकास अधिकारियों को विकास खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा ` 14.00 लाख की अग्रिम धनराशि दिनांक 30.03.2016 को तथा ` 4.00 लाख की अग्रिम धनराशि दिनांक 06.06.2016 को दी गई थी परंतु कुल अग्रिम धनराशि ` 18.00 लाख का संबन्धित ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2016) तक एक भी समायोजन बिल प्रस्तुत नहीं किया गया | पत्रावलियों की जांच में आगे पाया गया कि ग्राम विकास अधिकारी ओड़ाड़ा को पहले अग्रिम ` 2.00 लाख का समायोजन बिल प्रस्तुत किए बिना ही दोबारा ` 2.00 लाख के अग्रिम का भुगतान कर दिया गया |

इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि दो अनारम्भ कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करवा लिया जाएगा | अग्रिम धनराशि के संबंध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि समायोजन बिल प्रस्तुत करने हेतु ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं | पहले अग्रिम ` 2.00 लाख का समायोजन बिल प्रस्तुत किए बिना ही दोबारा ` 2.00 लाख के अग्रिम का भुगतान के उत्तर में इकाई ने बताया कि अवर अभियंता ओड़ाड़ा की संस्तुति के आधार पर द्वितीय अग्रिम का भुगतान किया गया है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों को 3-4 माह के अंदर पूर्ण किया जाना था | भवन निर्माण हेतु दी गई धनराशि का अतिशीघ्र समायोजन किया जाना चाहिए था तथा पहले अग्रिम के समायोजन के बिना दोबारा अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिए था |

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 3:- ` 3.45 लाख के असमायोजित अग्रिम।

क्षेत्र पंचायत, नरेन्द्र नगर द्वारा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त एवं क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा राज्य वित्त से स्वीकृत 06 कार्यों हेतु ` 5.70 लाख की धनराशि के सापेक्ष विभिन्न ग्राम विकास अधिकारियों को ` 2.95 लाख की अग्रिम की धनराशि चैको से भुगतान की गयी थी कार्य पूर्ण करने की अवधि दो माह थी परन्तु अगस्त 2016 तक अग्रिमों से सम्बन्धित समायोजित प्रस्तुत नहीं किये गये थे। जिसके कारण कार्य अपूर्ण थे तथा ` 2.75 लाख की धनराशि विभाग के पास अवरुद्ध थी।

इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत विकास निधि से ` 1.00 लाख की स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्य के सापेक्ष ` 0.50 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था परन्तु अगस्त 2016 तक कार्य अपूर्ण था तथा समायोजित भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

दोनों मदों के अन्तर्गत 07 कार्यों पर कुल स्वीकृत धनराशि ` 6.70 लाख के सापेक्ष ` 3.45 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था परन्तु 05 माह से 10 माह के विलम्ब के पश्चात भी सम्बन्धित ग्रा.वि.अधिकारी द्वारा समायोजन या कार्यपूर्ति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये थे। जिसके कारण ` 3.25 लाख की धनराशि विभाग के पास अवरुद्ध थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि कार्य पूर्ण हो चुके है तथा मापन के पश्चात अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को समायोजन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास कार्य की अधिकता ग्राम पंचायतों को संख्या अत्याधिक होने तथा भौगोलिक परिस्थिति के कारण कार्यों में विलम्ब हुआ है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अग्रिमों का समायोजन नियमानुसार एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथा समय सीमा का पालन कराना सक्षम अधिकारी का दायित्व है क्योंकि समय सीमा निर्माण कार्यों में एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इस प्रकार अग्रिमों का असमायोजित रहना तथा कार्यों में 5 से 10 माह का विलम्ब होना शासन द्वारा निर्गत निर्देशों एवं नियमों का उल्लघंन है।

अतः असमायोजित अग्रिम ` 3.45 लाख तथा अवरुद्ध धनराशि ` 3.25 लाख से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 4:- प्रधानमन्त्री कृषि सिचांई योजना से प्राप्त धनराशि ` 29.92 लाख का अवरुद्ध रहना।

क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड़ नरेन्द्रनगर द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण टिहरी गढ़वाल के पत्र सं. 1542/&WMP-VI-बजट 2015-16 दिंनाक 17.03.2016 द्वारा प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना जलागम (पूर्व में /&WMP) के अन्तर्गत प्राप्त ` 29,19,562/- की धनराशि जल एवं जलागम प्रबन्ध समितियों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों एवं उनके आगणन पर खण्ड़ विकास अधिकारी को स्वीकृति के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों में जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक आबादी SCSP तथा अनुसूचित जनजाति उपयोग (TSP) में आने वाली चयनित ग्राम पंचायतो में किये जाने वाले कार्यों पर व्यय की जाती थी।

परन्तु अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा स्वीकृति धनराशि का उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप माह अगस्त 2016 तक नहीं किया गया था। केवल 18 ग्राम पंचायतों का चयन कर प्राकलन तैयार किया जा चुका है परन्तु कार्यों पर न तो प्रशासनिक तथा न ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है तथा जिसके कारण कार्य प्रारम्भ हो नहीं किये गये था। तथा सम्पूर्ण धनराशि असमायोजित/अवरुद्ध थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि ग्राम पंचायतो तथा जलागम सम्मितियों का गठन किया गया है तथा ऐक्शनप्लान तैयार कर सम्बन्धित विभाग को उनके आदेश अनुसार प्रेषित किया गया है कार्य नियमानुसार प्रारम्भ किये जायेगे।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्य योजनाओं का लम्बे समय तक क्रियान्वयन न किया जाना तथा परियोजनाओं का समय पर पूरा न होने से सम्पूर्ण योजनाओं का लाभ स्थानीय जनता को नहीं मिलता है तथा कार्यों से प्राप्त उद्देशयों की पूर्ति नहीं हो पाती है।

अतः ` 29,19,562/- को असमायोजित धनराशि से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 4:- कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत ` 69.93 लाख की धनराशि का असमायोजित रहना।

कार्यालय की किसी भी निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों कि लिये अवमुक्त कि गयी धनराशि को शीघ्र ही समायोजित किया जाना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम के दुरुपयोग से बचा जा सके जैसा कि वित्तीय नियमों में बताया गया है और किसी भी प्रकार की छति से बचा जा सके।

कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के अग्रिम पंजिका कि जाँच में पाया गया कि कुल ` 69.93 लाख कि धनराशि का समायोजन लंबित था जिसे कर्मचारियों को कार्यों के निष्पादन हेतु दिया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर कार्लालय के द्वारा बताया गया कि कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर समायोजन कर लिया जायेगा तथा लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के कारण उक्त धनराशि का समायोजन नहीं हो सका और वित्तीय नियमों के अनुसार कोई कार्यवाही कार्यालय के द्वारा संबन्धित कर्मचारियों पर नहीं की गई है इस प्रकार धनराशि के दुप्रयोग से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत ` 193.30 लाख की धनराशि के कार्यों का अपूर्ण रहना एवं ` 69.93 लाख की धनराशि का असमायोजित रहना।

कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत विधायक निधि कराये जाने वाले लघु निर्माण कार्य 4-6 महीनो में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए जैसा की कार्यालय के कार्यादेश में भी दर्शाया गया है जिससे की आमजन को उसका फायदा/सुविधायें मिल सके और सरकार के द्वारा परिलक्षित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

कार्यालय की विधायक निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की सूची में पाया गया कि ` 193.30 लाख कि धनराशि के कुल 124 कार्य (संलग्न अ के अनुसार) लेखापरीक्षा कि तिथि तक अपूर्ण पाये गये जिसमें कार्यालय को ` 145.23 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष कार्यालय के द्वारा ` 69.93 लाख की धनराशि का खर्च दर्शाया गया जिसका समायोजन लेखापरीक्षा तिथि तक अपेक्षित है।

इसे इंगित किये जाने पर कार्यालय के द्वारा बताया गया कि कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का समायोजन कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के कारण उक्त कार्य समय से पूर्ण नहीं कराये जा रहे है और वित्तीय वर्ष 2012-13 से कार्य अपूर्ण पाये गये जिससे कि आमजन को उसका फायदा/सुविधाये समय से नहीं मिल पा रही है और सरकार के द्वारा परिलक्षित उद्देशयों की पूर्ति भी नहीं हो रही।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **क्षेत्र पंचायत-नरेन्द्रनगर, जनपद- टिहरी** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0